मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
'मंत्रालय'–वल्लभ भवन–भोपाल

क्रमांक/एफ 9-6/2017/नि/चार भोपाल, दिनांक 21.05.2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त जिला कोषालय अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।

विषय :– दिनांक 01.01.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण करने के संबंध में ।

संदर्भ :– म0प्र0शासन,वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 09/01/2007/नियम/चार, दिनांक 16.05.2007, परिपत्र क्रमांक एफ 9–6/2017/नियम/चार, दिनांक 23.10.2017 एवं आदेश क्रमांक 2093/1713/2017/नियम/चार, दिनांक 06.12.2017

0000

विषयांतर्गत लेख है कि मान्नीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–इंदौर में प्रचलित अवमानना प्रकरण क्रमांक 195/2017 (डब्ल्यू0ए0–353/2015) पेंशन फेडरेशन विरूद्ध श्री ए0पी0श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, मध्यप्रदेश शासन, व अन्य में मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को दिए निर्देशानुसार 206 पेंशनरों को अभी तक पेंशन पुनरीक्षण का लाभ न मिलने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, म0प्र0शासन को न्यायालयीन आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए हैं ।

इस पत्र में उल्लेखित संदर्भित परिपत्र दिनांक 16.05.2007 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा समस्त कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि दि.01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन समेकन तथा पुनरीक्षण के संबंध में कोषालय अधिकारी, पेंशन भुगतान अधिकारी से संबंधित पेंशनर का पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O.) बैंक से स्वयं ही प्राप्त करेंगे । पेंशन/परिवार पेंशन के निर्धारण के लिए

पेंशनर के सेवानिवृत्ति के समय धारित पद, पद के वेतनमान, अर्हकारी सेवा एवं पेंशन गणना पत्रक की जानकारी आवश्यक होती है । इस जानकारी के आधार पर कोषालय अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे पेंशन/परिवार पेंशन समेकित अथवा पुनरीक्षित करेंगे । इनके पात्र पाए जाने पर इन्हें एरियर का भुगतान दिनांक 01.01.1996 से किया जाना सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि समस्त कोषालय अधिकारी एवं समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी संबंधित बैंक्स की सी.पी.पी.सी. इकाई अथवा नोडल शाखा में जाकर निम्नांकित कार्यवाही अतिशीघ्र संपन्न करना सुनिश्चित करें :–

1. अवमानना याचिका क्र.195/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 में उल्लेख अनुसार **206 पेंशनर की सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है** । इसमें उल्लेखित अन्य राज्य के पते पर निवासरत 14 पेंशनर्स, 145 पेंशनर्स जिनका विवरण अनुपलब्ध है, 41 मृत पेंशनर (यदि उनके वैद्य उत्ताराधिकारी किसी भी बैंक/कोषालय से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हों) तथा 6 ऐसे पेंशनर्स जिनके बैंक खाते बंद हो चुके हैं, को भुगतान यदि किसी कोषालय अथवा बैंक से हो रहा है, के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण/समेकन यदि हुआ है, तो उसकी जानकारी तत्काल संभागीय पेंशन अधिकारी, इंदौर सहित आयुक्त कोष एवं लेखा तथा संचालक पेंशन को उपलब्ध कराएं । यदि उपर्युक्त में से किसी भी प्रकरण का पुनरीक्षण शेष हो तथा उनके द्वारा अथवा उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित बैंक से पेंशन ली जा रही है तो उसका पुनरीक्षण/समेकन कर पूर्ण सूचना **संलग्न प्रपत्र 1** में उपलब्ध कराएं।

2. राज्य के बाहर निवासरत पेंशनर के संबंध में समस्त कोषालय अधिकारी एवं समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी अपने रिकार्ड से यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा सूची में दिए गए पेंशनर के प्रकरण किसी समय अन्य राज्यों को महालेखाकार के माध्यम से अन्तरित हुये हो तो उसकी जानकारी संभागीय पेंशन अधिकारी, इंदौर सहित आयुक्त कोष एवं लेखा तथा संचालक पेंशन को संलग्न प्रपत्र 1 में उपलब्ध करावें ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16 मई 2007 एवं 23 अक्टूबर 2017 अनुसार समस्त जिला कोषालय अधिकारी एवं समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त 206 प्रकरणों को छोड़कर अन्य ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु दिनांक 01.01.1996 के पूर्व हुयी है, उन्हें दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित पेंशन के 50 प्रतिशत से कम पेंशन मिलने की दशा में तथा परिवार पेंशन की दशा में 30 प्रतिशत से

..3

कम परिवार पेंशन मिलने पर, दिनांक 01.01.1996 से उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पुनरीक्षण कर उनके एरियर की राशि की गणना की जाकर भुगतान सुनिश्चित करें । इसकी इकजाई सूचना **संलग्न प्रपत्र 2** में प्रस्तुत करें।

उपर्युक्त समस्त कार्यवाही अनिवार्यतः दिनांक 10 जून 2018 तक सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर इसका पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें ।

(ए.पी.श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव,
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक /एफ 9-6/2017/नि/चार
भोपाल, दिनांक 21 .05.2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश, 26–किसान भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल

दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त 206 पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01.01.1996 से एरियर्स भुगतान की जानकारी

स. क.	सदस्यता कमांक	पीपीओ. कमांक	पेंशनर/ परिवार पेंशनर का नाम	सूची में लिखित पता	एरियर्स भुगतान का मूलधन	ब्याज की राशि	कुल राशि	भुगतान दिनांक	बैंक का नाम एवं खाता कमांक	रिमार्क
1.										
2.										
3.										
4.										

टीप : 1. अवमानना याचिका क.195/2017 के संबंध में प्रत्येक कोषालय/पेंशन अधिकारी को उपर्युक्त सूची पृथक से प्रेषित करना है । यदि उक्त पेंशनर/परिवार पेंशनर का भुगतान कोषालय/बैंक से नहीं हो रहा हो तो उक्त दशा में जानकारी निरंक भेजी जावे ।

2. संबंधित बैंक से उपर्युक्त पेंशनर को एरियर्स के भुगतान की जानकारी अथवा पेंशनर का खाता उनके बैंक में उपलब्ध नहीं है, इस बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

हस्ताक्षर

संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी

हस्ताक्षर

जिला कोषालय अधिकारी

प्रपत्र 2

दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01.01.1996 से एरियर्स भुगतान की जानकारी

स. क.	पेंशनर/ परिवार पेंशनर की संख्या (दि.01.01.96 के पूर्व सेवानिवृत्त)	वित्त विभाग के परिपत्रों के अनुसार एरियर्स हेतु पात्र पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स की कुल संख्या	पात्र पेंशनर्स/ परिवार पेंशनर्स में से ऐसे पेंशनर्स जिन्हें एरियर्स भुगतान किया गया है, की संख्या	पात्र पेंशनर्स में से शेष पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स जिन्हें एरियर्स का भुगतान किया जाना है ।	शेष पेंशनर्स जो अपात्र पाए गए हैं, उनकी संख्या	रिमार्क (कालम 5 में दर्शित पेंशनर्स/ परिवार पेंशनर्स को एरियर्स भुगतान नहीं हाने के कारण लिखें)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

हस्ताक्षर

संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी

हस्ताक्षर

जिला कोषालय अधिकारी